संख्या : 2936 / जी0एस0(शिक्षा) / A3-119(3) / 2021

प्रेषक,

स्वाति0 एस0 भदौरिया,
कुलाधिपति के अपर सचिव।

सेवा में,

कुलपति,
कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।

राज्यपाल / कुलाधिपति सचिवालय : उत्तराखण्ड

देहरादून, दिनांक 17 फरवरी, 2025

महोदय,

कृपया कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल द्वारा एफिलिएशन पोर्टल पर प्रेषित प्रस्ताव, पंजीकरण क्रमांक 240109111719, दिनांक 23.12.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें सम्राट पृथ्वीराज चौहान कॉलेज, काशीपुर, ऊधम सिंह नगर को एम0ए0-(हिन्दी, समाजशास्त्र, शिक्षाशास्त्र) पाठ्यक्रम में 30 सीट प्रति विषय हेतु शैक्षिक सत्र 2024-25 की अस्थायी सम्बद्धता विस्तारण का प्रस्ताव संस्तुति सहित इस सचिवालय को उपलब्ध कराया गया है।

2- उक्त सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निरीक्षण मण्ड़ल की आख्या, कुलसचिव एवं कुलपति की संस्तुति के आधार पर उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 (यथाप्रवृत्त उत्तराखण्ड राज्य) की धारा-37(2) के अन्तर्गत संस्थान को निम्न तालिका के अनुसार उसके नाम के सम्मुख वर्णित पाठ्यक्रमों, सीटों एवं अवधि की अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण सम्बन्धी प्रस्ताव पर मा0 कुलाधिपति द्वारा निम्न उपबन्धों के साथ अनुमोदन / स्वीकृति प्रदान की गई है :-

क्रमांक	महाविद्यालय / संस्थान का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	प्रवेश क्षमता (कुलपति की संस्तुतिनुसार)	अस्थाई सम्बद्धता सत्र
1	2	3	4	5
01	सम्राट पृथ्वीराज चौहान कालेज, काशीपुर, ऊधम सिंह नगर।	एम0ए0 (हिन्दी, समाजशास्त्र, शिक्षाशास्त्र)	30 सीट प्रति विषय	2024-25

(1) निरीक्षण मण्डल की आख्या एवं कुलपति की संस्तुति के दृष्टिगत विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद्, यू0जी0सी0 विनियमों व नियामक संस्था के मानकों के पूर्ण करने की दशा में सम्बद्धता सम्बन्धी आदेश निर्गत करने की कार्यवाही करें व विश्वविद्यालय तत्सम्बन्धी कृत कार्यवाही की सूचना मा0 कुलाधिपति महोदय के अवगतार्थ 02 माह के अवधि के भीतर उपलब्ध कराये।

(2) विश्वविद्यालय, शैक्षिक सत्र 2024-25 के अन्त तक संस्थान से प्राभूति यू0जी0सी0 विनियम एवं उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 649, दिनांक 14.12.2016 के अनुसार बंधक रखवाना सुनिश्चित करेगा, विश्वविद्यालय अग्रेत्तर सत्र का प्रस्ताव प्राभूति सम्बन्धी मानक पूर्ण होने की दशा में मा0 कुलाधिपति सचिवालय को अग्रसारित करें, प्राभूति अपूर्ण होने की दशा में शैक्षिक सत्र 2025-26 के प्रस्ताव पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा।"

(3) संस्थान में पुस्तकें मानकानुसार पूर्ण कराने का दायित्व विश्वविद्यालय का होगा।

(4) अग्रेत्तर सत्रों के सम्बद्धता प्रस्ताव यू0जी0सी0 विनियम / नियामक संस्थान एवं शासन द्वारा निर्धारित मानंकों के अनुरूप पूर्ण होने की दशा में ही स्वीकार किये जायेंगे अन्यथा की स्थिति में अपूर्ण प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जायेगा।

भवदीया,

Signed by
Swati Srivastava Bhadauria (स्वाति एस0 भदौरिया)
Date: 17-02-2025 13:53:19 कुलाधिपति के अपर सचिव।

संख्या : 2936 (1)/जी0एस0(शिक्षा)/**A3-119(3)**/2021 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1. सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।
3. प्रबन्धक/प्राचार्य–सम्बन्धित संस्थान।
4. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,

Signed by
Shri Laxman Ram Arya
Date: 17-02-2025 14:25:52
(लक्ष्मण राम आर्य)
कुलाधिपति के अनुसचिव।

File No. RB-EDUC02/341/2023-RAJBHAWAN (Computer No. 726)
Generated from eOffice by MANJEET SINGH, RO-MS, REVIEW OFFICER, Rajbhawan Uttarakhand on 17/02/2025 02:43 pm